उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

कार्मिक- 4 (जे०सी०एम०) पत्रावली संख्या-7, ई०एम०/81 (संयुक्त सलाहकार समिति)
लखनऊ दिनांक 28.02.83 के अन्तर्गत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

अध्यक्ष
अतुल त्रिपाठी
मो०-9415307404

उपाध्यक्ष
संतोष कुमार उपाध्याय
मो०-9415635031
प्रियंका मिश्रा
मो०- 9891594705

महामंत्री
अमित कुमार निर्मल
मो०-9452273850

संयुक्त मंत्री
लवी आर्या
मो०-9415259239
इंगिता पाण्डेय
मो०-8601969713

कोषाध्यक्ष
आशीष पाण्डेय
मो०-7905443606

प्रकाशन मंत्री
नेहा कुमारी
मो०-9313237768

सम्प्रेक्षक
लक्ष्मी शंकर बाजपेयी
मो०-9473979630

पत्रांक...9./.2019 दिनांक...9.:5.:19.....

प्रेषक,

अतुल त्रिपाठी,
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आबकारी विभाग,
उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

विषयः आबकारी निरीक्षकों को शासकीय कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आबकारी निरीक्षक संघ के प्रत्यावेदन दिनांक 26.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके प्रस्तर–3 में आबकारी निरीक्षकों को पृथक शासकीय वाहन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यावेदन को दिये हुये 6 माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है। अभी भी आबकारी निरीक्षकों को पूर्व की भांति बिना समुचित संसाधनों के कठिनाईयां झेलते हुए प्रवर्तन व निरीक्षण कार्य करने पड़ रहे है। अभी हाल ही में आबकारी निरीक्षकों को तहसील स्तर पर बैठने के भी निर्देश निर्गत हुये है, जिसे प्राथमिकता

Scanned with CamScanner

के आधार पर क्रियान्वित भी किया जा रहा है। अन्य किसी भी संसाधन को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व ही इस आदेश के क्रियान्वयन से संवर्ग के समक्ष कई दुश्वारियां उत्पन्न हो गयी है, जिनके निराकरण हेतु उन्हें आपके समक्ष रखना आवश्यक हो गया है।

वर्तमान में शराब के अत्याधिक मूल्यवान होने के कारण माफियाओं और तस्करों के लिये अवैध शराब का व्यवसाय काफी आकर्षक हो गया है। उनके द्वारा उच्च श्रेणी के संसाधनों को प्रयोग करके तस्करी कार्य किया जा रहा है। इन अपराधियों से मोर्चा लेने के लिए विभाग की तरफ से वाहन रहित आबकारी निरीक्षक क्षेत्र में तैनात है। किसी मुखबिरी के प्राप्त होने पर आबकारी निरीक्षक से तत्काल अपने 4–5 अधीनस्थों के साथ Quick Response Time (QRT) के मानक को ध्यान में रखते हुए तथा किसी मुजाहमद/झगड़ा–फसाद को बचाते हुए प्रभावी दबिश कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। इन विषम एवं संवेदनशील परिस्थितियों में आबकारी निरीक्षक को वाहन की व्यवस्था करनी होती है। वर्तमान में जनपद में उपलब्ध वाहन किसी न किसी उच्चाधिकारी के अधीन कार्यरत रहता है। उच्चाधिकारी को सूचना दे वाहन प्राप्त करने में प्रायः विलम्ब हो जाता है, जिसका लाभ उठाकर अपराधी भाग जाते है। जनपद में आबकारी कार्मिकों की संख्या अल्प एवं संसाधन सीमित है। निरीक्षकों को जोखिमपूर्ण दबिश की चुनौती से निपटने के लिए एकजुट होकर संख्याबल और वाहन की व्यवस्था कर संयुक्त टीम बनाते हुये दबिश की जाती है, जिससे प्रभावी दबिश कार्य सम्भव हो पाता है।

यह भी अवगत कराना है कि जनपद मुख्यालय से तहसीले औसतन 25–30 किमी0 की दूरी पर स्थित होती है। तहसील में आबकारी निरीक्षक के बैठने से पूर्व यदि उन्हें वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया तो शासकीय कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। आबकारी नीति 2019–20 में प्रवर्तन कार्य को सुदृढ़ बनाने हेतु 243 वाहनों को संविदा पर लिये जाने का उल्लेख है। दिनांक 04.04.2018 को हुई वीडियो कांफ्रेसिंग में भी वाहनो की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि तहसील में आबकारी निरीक्षको को बैठने सम्बन्धी आदेश के क्रियान्वयन के पूर्व उन्हें वाहन जैसे आवश्यक संसाधन को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है। बिना वाहन के तहसील में अपने 3–4 सिपाहियों के साथ बैठने पर आकस्मिक दबिश का कार्य प्रभावित होगा और वाहन की अनुपलब्धता के चलते संयुक्त टीम न हो पाने के कारण दबिश की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

साथ ही अनुरोध है कि आबकारी नीति के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों का उपयोग प्रवर्तन कार्य में समुचित तरीके से हो सके, इसके लिये आवश्यक है कि जनपद में दूरस्थ स्थित तहसील में नियुक्त आबकारी निरीक्षक को प्राथमिकता के आधार पर शासकीय कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाये। साथ ही अनुरोध है कि वाहन का आवंटन सम्बन्धित तहसील में तैनात निरीक्षक के पदनाम से हो, जिससे आकस्मिकता की स्थिति में प्रभावी प्रवर्तन कार्य तत्काल हो सकें एवं किसी शिथिलता की दशा में निरीक्षक के उत्तरदायित्व का औचित्यपूर्ण निर्धारण हो सके।

अतः अनुरोध है कि आबकारी अपराधों पर अंकुश लगाने एवं क्षेत्रान्तर्गत सभी अनुज्ञापनों पर मानक के अनुरूप निरीक्षण हेतु आबकारी निरीक्षक को पृथक–पृथक शासकीय वाहन उपलब्ध कराया जाये।

दिनांकः 9.4.19

भवदीय

(अतुल त्रिपाठी)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश आबकारी निरीक्षक संघ

Scanned with CamScanner